

Court of ACJM, Biraul

Biraul P.S.-468/17

G.R.-895/17

23.09.19

प्रस्तुत कांड में अनुसंधानकर्ता ने आरोप-पत्र एवं वाद दैनिकी भा0द0वि0 की धाराएँ-147,148,341,323,354,504 के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त **शशिकान्त मांझी** एवं **आठ** अन्य, जिनका नाम आरोप-पत्र की कंडिका 11(i) में अंकित है, के विरुद्ध समर्पित किया है।

प्राथमिकी, आरोप-पत्र, वाद-दैनिकी सहित अभिलेख पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों के अवलोकनोपरांत प्राथमिकी अभियुक्त **1. शशिकान्त मांझी 2. रीता कुमारी 3. सबुजिया देवी 4. राम कुमार मांझी 5. योगेन्द्र मांझी 6. अशोक कुमार मांझी 7. रामजुलुम मांझी 8. विश्वनाथ मांझी 9. भरत मांझी** के विरुद्ध भा0द0वि0 की धाराएँ-147,148,341,323, 354,504 के अंतर्गत अपराध का प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ पाया जाता है।

तदनुसार आरोप-पत्रित अभियुक्त **शशिकान्त मांझी एवं आठ** अन्य, के विरुद्ध भा0द0वि0 की धाराएँ-147,148,341,323,354,504 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है।

वाद को विधिवत विचारण एवं निष्पादन हेतु निजी संचिका में रखा जाता है।
कार्यालय अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु सम्मन निर्गत करे।

दिनांक- **07.02.2020** वास्ते उपस्थिति।

लेखापित

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी